

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III

(आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

06 फरवरी, 2020

“रक्षा मंत्रालय के कुल पूँजीगत व्यय के मुकाबले बजट आवंटन $10\frac{1}{2}$ वर्षों में $10\frac{1}{2}$ गुना बढ़ा है। इस आलेख में हम जानेंगे कि रक्षा पेंशन क्यों बढ़ रहा है और इससे कौन-कौन सी चुनौतियाँ पैदा होंगी।”

2020-21 के लिए केंद्रीय बजट ने रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह एक दशक में साढ़े दस गुना बढ़ा है, जो 2005-06 में 12,715 करोड़ रुपये था।

आँकड़ों के अनुसार

1,33,826 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 4.4% या जीडीपी का 0.6% है और रक्षा मंत्रालय को किए गए कुल आवंटन में से 28.4% पेंशन पर व्यय किया जाता है।

इतनी तेजी से रक्षा पेंशन का बिल बढ़ा है कि यह अब रक्षा मंत्रालय के कुल पूँजीगत व्यय से 15,291 करोड़ रुपये अधिक हो गया है, जिसमें से एक हिस्सा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए है। अब यह रक्षा मंत्रालय के वेतन बिल के बराबर हा गया है। सरकार जितना ही अधिक वेतन और पेंशन पर खर्च करती है, उतना ही कम वह सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च कर सकती है।


अन्य क्षेत्रों के साथ तुलना करें तो हम पाएंगे कि सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना MGNREGA में केवल 61,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो रक्षा पेंशन का 46% है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री का प्रमुख स्वच्छ भारत अभियान को 12,300 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में, सरकार का शिक्षा पर खर्च 99,300 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 69,000 करोड़ रुपये हैं।

बिल ज्यादा क्यों है?

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, लगभग 26 लाख सशस्त्र बल पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर हैं और हर साल लगभग 55,000 पेंशनर्स इसमें जुड़ जाते हैं। 2015 में, सरकार ने OROP (वन रैंक, वन पेंशन) योजना की घोषणा की थी, जिसकी लागत 8,600 करोड़ रुपये थी। 2017 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रक्षा पेंशन बिल में फिर से वृद्धि हुई थी।

रक्षा पेंशन कई मायनों में अनूठी है। रक्षा कर्मी कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस तरह अपने नागरिक समकक्षों की तुलना में लंबे समय तक पेंशन प्राप्त करते रहते हैं। सैन्य कर्मियों की सेवा करने के लिए सैन्य पेंशनरों का वर्तमान अनुपात 1.7 से 1 तक है, जबकि सिविल वर्किंग कर्मियों के लिए सिविल पेंशनरों का अनुपात 0.56 से 1 है। रक्षा में इस अनुपात को आगे बदलने का अनुमान है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं।

सरकार में सभी नागरिक कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें एक सुनिश्चित पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन वे अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ एक तरफ नागरिकों के लिए सरकार पेंशन बिल को कम करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार सैन्य कर्मियों को उनकी कम सेवा अवधि के कारण एनपीएस के दायरे से बाहर भी रखती है।



इसके क्या निहितार्थ हैं?

रक्षा सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, लेकिन यह क्षेत्र बजटीय आवंटन से जूझ रहा है। ऐसे परिदृश्य में तेजी से बढ़ते रक्षा पेंशन बिल पर ध्यान पड़ना स्वाभाविक है।

क्या इसका कोई आसान जवाब है? समान स्तर पर इस व्यय को स्थिर रखने का अल्पकालिक उत्तर सैन्य कर्मियों की सेवा की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना और पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि को रोकना है। लेकिन ऐसे समय में जब देश एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर बेरोजगारी का सामना कर रहा है, कुछ वर्षों के लिए भर्ती पर रोक से स्थिति और खराब हो जाएगी।

अन्य समाधान सेवानिवृत्ति सैन्यकर्मियों को अर्थसैनिक बलों में भेजना है, लेकिन इन बलों को युवा बने रहने की भी जरूरत है और इसी वजह से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा, सैन्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से उच्च बेरोजगारी के समय में भर्ती की समस्या भी सामने आएगी।

हालाँकि, तेजी से बढ़ता रक्षा पेंशन बिल एक चुनौती बन गया है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था दो अंकों की दर से नहीं बढ़ती, तब तक इस बिल को प्रस्तुत करना और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना संभव नहीं होगा। इस चुनौती का कोई आसान जवाब नहीं है, इसलिए इसका जवाब शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से आना चाहिए।

रक्षा बजट-2020

संदर्भ

- बजट 2020 में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।
- यह अब 3.37 लाख करोड़ हो गया है। पिछले साल तक यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था।
- रक्षा क्षेत्र में दी जानेवाली पेंशन को जोड़ने के बाद यह 4.7 लाख करोड़ हो जाता है।
- इस बार रक्षा पेंशन के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 1.33 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.77 लाख करोड़ किया गया है।
- सेना के आधुनिकीकरण और नए अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए सेना को 1,10,734 करोड़ का आवंटन किया गया है। वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र के लिए दिए गए बजट से यह राशि अधिक है।

मुख्य बिंदु

- 2018 की तुलना में 2019 के रक्षा बजट में पाँच हजार करोड़ की वृद्धि की गई थी। 2018 का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ था।
- 2017 का रक्षा बजट 2.74 करोड़ रुपये था। इसके अलावा 2019 के बजट में उन जवानों के भत्ते में भी इजाफा किया गया था जो हाई रिस्क इलाकों में अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं।
- चीन का रक्षा बजट भारत से तीन गुना ज्यादा है। वहीं भारत इस क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का दो फीसद से भी कम खर्च करता आया है।

क्या है वन रैंक वन पेंशन

- भारत सरकार ने नवंबर 2015 में एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था।
- वन रैंक वन पेंशन का मतलब अलग-अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो फैजियों को समान पेंशन देना है।
- फिलहाल रिटायर होने वाले लोगों को उनके रिटायरमेंट के समय के नियमों के हिसाब से पेंशन मिलती है।
- यानी जो लोग 25 साल पहले रिटायर हुए हैं उन्हें उस समय के हिसाब से पेंशन मिल रही है जो बहुत कम होती है।


लाभ

- जो भी सैनिक बहुत पहले रिटायर हुए हैं और जो अब रिटायर होंगे सब को वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि एक ही रैंक से रिटायर होने वाले अफसरों को एक जैसी ही पेंशन मिले। यानी 1990 में रिटायर हुए कर्नल को आज रिटायर हुए कर्नल के बराबर ही पेंशन दी जाए।
- रिटायर हो चुके सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना से लाभ होगा, खासतौर पर जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हुए हैं।
- रिटायर सैनिकों को एक रैंक पर एक पेंशन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वन रैंक वन पेंशन योजना का वास्तविक मतलब है कि एक श्रेणी के सैनिक को एक पेंशन।

अन्य तथ्य

- योजना के लिए वर्ष 2013 को आधार वर्ष मानते हुए 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी बनाने की बात की गई थी।
- अधिकारियों को आधार वर्ष के रूप में 1 अप्रैल 2014 और 2015 में वन रैंक वन पेंशन योजना की मान्यता मिली।
- योजना पर अनुमानित लागत 8000 से 10000 करोड़ रुपये है।
- सरकार ने पहले ही कहा है की जो सैनिक स्वेच्छा से रिटायर होंगे उन्हें OROP के तहत पेंशन नहीं मिलेगी।

Figure 2: Share of Defence Services in Defence Budget 2020-21



प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बन रैंक बन पेंशन योजना की घोषणा 2014 में की गई थी।
2. 2017 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रक्षा पेंशन बिल में वृद्धि हुई।
3. अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- | | |
|------------|------------|
| (a) 1 और 2 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 3 | (d) केवल 3 |

Q. Consider the following statements.

1. The One Rank One Pension Scheme was announced in 2014.
2. The implementation of the recommendations of 7th Pay Commission in 2017 led to an increase in the Defense Pension Bill.
3. Only Central Government employees have been included under the contributory National Pension Scheme.

Which of the above statements are correct?

- | | |
|-------------|------------|
| (a) 1 and 2 | (b) Only 2 |
| (c) 1 and 3 | (d) Only 3 |

नोट : 5 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर **1 (c)** होगा।

प्र. रक्षा बजट में वृद्धि के कारणों का उल्लेख करते हुए, इसके विभिन्न निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Discuss the various implications of the increase in the defense budget, citing the reasons for the increase.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।